रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102024-258297 CG-DL-E-29102024-258297

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4326]

No. 4326]

नई दिल्ली,सोमवार, अक्तूबर 28, 2024/ कार्तिक 6, 1946 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIK 6, 1946

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4702(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंजीरा वन्यजीव अभयारण्य, तेलांगना के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1432(अ), तारीख 05 मई, 2017 द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1432(अ), तारीख 05 मई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की

6987 GI/2024 (1)

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1432(अ), तारीख 05 मई, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"5. निगरानी सिमिति. – केन्द्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी सिमिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थातु: -

(ক)	जिला कलेक्टर, मेडक	अध्यक्ष, पदेन;
(ख)	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन के एक प्रतिनिधि को तीन वर्ष की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(ग)	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(ঘ)	क्षेत्रीय अधिकारी, तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेडक	सदस्य, पदेन;
(ङ)	क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक	सदस्य, पदेन;
(च)	प्रभागीय वन अधिकारी (प्रादेशिक), मेडक	सदस्य, पदेन;
(ন্ত)	सदस्य, तेलंगाना राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(ज)	जिला वन्यजीव वार्डन, मेडक	सदस्य सचिव, पदेन;

- 2. निगरानी सिमिति के कार्य:- (1) निगरानी सिमिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।
- 3. ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।
- 4. निगरानी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।
- 5. निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।
- 6. निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-IV** में निर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

7. केन्द्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है. जैसा वह उचित समझे"।

[फा.सं.25/50/2014-ईएसजेड] डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक "जी"

*टिप्पण.*—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 05 मई, 2017 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1432 (अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2024

**S.O. 4702(E).**—WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by subsection (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Manjeera Wildlife Sanctuary, Telangana in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.1432 (E), dated the 05<sup>th</sup> May 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986

provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1432 (E), dated the 05<sup>th</sup> May 2017;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1432 (E), dated the 05<sup>th</sup> May 2017, namely:-

In the said notification, For paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely:-

- "5. **Monitoring Committee**. The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-
  - (a) District Collector, Medak

Chairman, ex officio;

(b) One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the

Member;

State Government of Telangana for a period of three years.

(c) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government of Telangana for a period of three years.

Member:

(d) Regional Officer, Telangana State Pollution Control Board, Medak Member, ex officio;

(e) Senior Town Planner of the area

Member, ex officio;

(f) Divisional Forest Officer(Territorial), Medak

Member, ex officio;

(g) Member, Telangana State Biodiversity Board

Member, ex officio;

(h) District Wildlife Warden, Medak

Member Secretary, *ex- officio*;

- (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case-to-case basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities annually for the period up to the 31<sup>st</sup> March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30<sup>th</sup> June of that year in proforma specified in **Annexure-IV**.
- (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/50/2014-ESZ] Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1432(E), dated the 05<sup>th</sup> May, 2017.